संख्या- 12/2026/ 208 /सैंतालीस-का-5-2026 – (2055990)

प्रेषक,

एस०पी० गोयल,
मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. महानिदेशक, डॉ० राम मनोहर लोहिया उ०प्र० प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, लखनऊ।

कार्मिक अनुभाग-5 **लखनऊ, दिनांक : 05 जून, 2026**

विषय- विभिन्न सेवा के अधिकारियों के आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम।

महोदया / महोदय,

उपर्युक्त विषय में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या 1568/14/दो-8-2005-33/P/2005 दिनांक 19 जनवरी, 2005 , संख्या- 1/14/98-का- प्रासको/2011 दिनांक 09 दिसंबर 2011 एवं संख्या- 1/14/98-का- प्रासको / 2014 दिनांक 03 जुलाई, 2014 को अवक्रमित करते हुये सक्षम स्तर से निम्नवत् निर्णय लिये गए है:-

1. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से प्रति वर्ष चयनित सभी अधिकारियों का आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम डॉ० राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी में आयोजित किया जाना अनिवार्य होगा।
2. विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों हेतु आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम की समयावधि एवं प्रशिक्षण की विषयवस्तु तथा इस पर होने वाला व्यय डॉ० राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
3. सभी संबंधित विभाग इस आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम पर आने वाले व्यय का वहन करेंगे एवं रिक्तियाँ व चयन की संख्या के सापेक्ष प्रतिवर्ष आवश्यक बजट व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
4. आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ प्रत्येक विभाग अपने अधिकारियों को अपने विभाग से संबंधित विभागीय प्रशिक्षण एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करेगा। यह विभागीय प्रशिक्षण विभन्न विभागों के विभागीय प्रशिक्षण संस्थान अथवा विभागीय प्रशिक्षण संस्थान न होने की दशा में विभाग के अनुरोध के आधार पर डॉ० राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी के द्वारा कराया जायेगा एवं इस पर आने वाले व्यय भार का वहन संबंधित विभाग द्वारा किया जाएगा।

2- मुझसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(एस०पी० गोयल)
मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास प्रशिक्षण संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
2. निदेशक, सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
(एम० देवराज)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।